AUG द्वारा प्रस्तुत

(117)

4/8/94

न्यायालय माननीय म० प्र० राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

श्री रामावतार तनय श्री हीरालाल ब्रा० आयु 74 वर्ष निवासी ग्राम निमिहा पो० आ० चौरी तह० ब्यौहारी जिला शहडोल म० प्र०

—— अपेलार्थी /वादी / आवेदक

बनाम RN/10-3/R/954/94

19.9.94

1. राममिलन तनय रामाधीन ब्रा० साकिन झिरिया,
2. सिराजुद्दीन तनय साहबदीन मुसलमान सा० बुड़वा
3. अ. रामरूप तनय शंकरदीन साकिन निमिहा

   ब. मिथिलेश कुमारी पत्नी अवधेश कुमार शर्मा पुत्री शंकरदीन सा० रीवा
4. श्यामलाल तनय बिशेषरराम ब्रा० साकिन चौरी

सभी का थाना व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म० प्र०

—— प्रतिवादी / अनावेदक

निगरानी

अपील विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, राजस्व प्रकरण-अपील क्रमांक 448/90-91 में दिनांक 20.7.94 को पारित आदेश जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तह० ब्यौहारी द्वारा पारित राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक7/अपील80-81 निरस्त करने आज्ञा प्रदान की गई है।

निगरानी

अपील अन्तरगत धारा 50 म० प्र० भू०रा० संहिता सन् 1959 ई०.

क्रमशः 2.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 954/1994 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री कुंवरसिंह कुशवाह उपस्थित। दोनों अभिभाषकों के तर्क सुने। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित कर दी जाये कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि व्यवहार न्यायालय की डिकी संबंधित पक्षकारों के ऊपर लागू होगी अथवा नहीं। अनावेदक अभिभाषक ने इस तर्क पर अपनी सहमति व्यक्त की। अतएव विचाराधीन प्रकरण का निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि क्या व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिकी संबंधित पक्षकारों के ऊपर लागू होती है अथवा नहीं, इस बिन्दु को विचार में लेकर प्रकरण का विनिश्चयन करें। प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	